

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 109 / 2026

लोकेश सिंह पटेल

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 12 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राजन सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजन सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक श्री मोहम्मद तालिब खान, अधिवक्ता को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- राजमलपुर, परगना एवं तहसील- पट्टी, प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या 480 क्षेत्रफल 0.02304 हेक्टेयर, गाटा संख्या 483 क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर, जो रास्ता के रूप में दर्ज है, और गाटा संख्या 485 क्षेत्रफल 0.00504 हेक्टेयर, 504 क्षेत्रफल 0.019 हेक्टेयर, जो घूर गड्ढा के रूप में दर्ज है, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उपजिलाधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि इस समय सार्वजनिक भूमि पर फसल बोई गई है और इसलिए, इसकी पैमाइश (माप) कठिन है।
4. निर्देश में इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि सार्वजनिक रास्ते पर फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. लिखित निर्देशों को अभिलेख पर दर्ज किया गया है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पहले भी प्रश्नगत रास्ते पर बार-बार फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है।
7. जब इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि जिस भूमि पर कृषि कार्य द्वारा अतिक्रमण किया गया है वह एक रास्ता है, तो अधिकारियों को सार्वजनिक मार्ग की बहाली के लिए विधि के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
8. तदनुसार, विपक्षी संख्या 2 और 4 – क्रमशः कलेक्टर, प्रतापगढ़ और ग्राम राजमलपुर, परगना और तहसील- पट्टी, प्रतापगढ़ की भूमि प्रबंधन समिति को यह निर्देश जारी करते हुए इस याचिका को निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

12 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)